संख्या-52/2017/3034/60-2-17-2/1(38)/17

प्रेषक,

अनीता सी मेश्राम,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 13 दिसम्बर, 2017

विषयः **आंगनवाड़ी केन्द्रों पर गठित मातृ समिति की बैठक एवं कार्यवाही के सम्बन्ध में।**

महोदय,

आप अवगत ही है कि आई0सी0डी0एस0 कार्यक्रम के अन्तर्गत 06 माह से 06 वर्ष तक की आयु के बच्चों के सर्वांगीण विकास तथा गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के समुचित पोषण एवं प्रतिरक्षण के लिए 06 सेवायें क्रमशः अनुपूरक पोषाहार, स्वास्थ्य प्रतिरक्षण (टीकाकरण), स्वास्थ्य जांच, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, स्कूल पूर्व शिक्षा तथा निर्देशन एवं सन्दर्भ सेवायें प्रदान की जा रही हैं।

अनुपूरक पोषाहार की नियमित उपलब्धता एवं समुचित वितरण व्यवस्था के लिए यह आवश्यक है कि स्थानीय स्तर पर ग्राम समुदाय से जुड़ी हुई महिलाओं का सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जाय। स्थानीय स्तर पर जिन महिलाओं के बच्चें आंगनवाड़ी केन्द्र पर पंजीकृत हैं वे स्वयं अपनी सक्रियता एवं सजगता के साथ पोषाहार वितरण आदि के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं, इससे स्थानीय स्तर पर अनेक समस्याओं का समाधान होगा एवं नियमित रूप से स्थानीय महिलाएं आंगनवाड़ी केन्द्रों पर बच्चों के स्वास्थ्य, प्री-स्कूल शिक्षा जैसे कार्यो में भागीदारी निभा सकेगी।

आंगनवाड़ी केन्द्रों के सुचारू रूप से संचालन हेतु मातृ समितियों की सक्रियता अति आवश्यक है जिसके दृष्टिगत शासनादेश संख्या-20/2017/1406/60-2-17-2/1(38)/17, दिनांक 29 मई, 2017 द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्रों पर मातृ समितियों के गठन के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं। मातृ समितियों द्वारा प्रत्येक माह की 10 तारीख को एक औपचारिक बैठक की जायेगी यदि उक्त दिवस को अवकाश होगा, तो यह बैठक अगले कार्य दिवस में सम्पन्न होगी। बैठक में मातृ समिति द्वारा निम्न् बिन्दुओं पर समीक्षा की जायेगी:-

- प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द्र नियमित रूप से खुले।
- आंगनवाड़ी केन्द्र पर पोषाहार के वितरण हेतु निर्धारित तिथि 05, 15 एवं 25 तारीख को पोषाहार का वितरण।
- आंगनवाड़ी केन्द्रों पर लाभार्थियों के सापेक्ष लाभार्थियों की वास्तविक उपस्थिति की समीक्षा करना तथा लाभार्थियों की उपस्थिति बढ़ाने हेतु प्रयास करना।
- आंगनवाड़ी केन्द्र पर जन सहयोग से प्रत्येक माह के प्रथम पोषाहार वितरण दिवस (माह की 05 तारीख) पर मनाये जाने वाले बचपन दिवस, द्वितीय पोषाहार वितरण दिवस (माह की 15 तारीख) पर मनाये जाने वाले ममता दिवस तथा तृतीय पोषाहार दिवस (माह की 25 तारीख) पर मनाये जाने वाले लाडली दिवस के सफल आयोजन के सम्बन्ध में विचार विमर्श करना।
- पोषाहार के स्टाक की चेकिंग एवं सत्यापन का कार्य।
- पंजीकृत शिशुओं में से लाल अथवा पीली श्रेणी के बच्चों के माता-पिता को सुधार हेतु परामर्श देना एवं योजना से लाभान्वित कराना।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

- ❖ आंगनवाड़ी कार्यकत्री द्वारा गृह भ्रमण के दौरान गर्भवती महिलाओं को स्वच्छता, पोषक खान-पान, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच एवं अस्पताल में प्रसव कराने के लाभ के विषय में परामर्श दिया जा रहा है अथवा नहीं।
- ❖ आंगनवाड़ी केन्द्र पर जो पोषाहार उपलब्ध हो रहा है और उसका वितरण लाभार्थियों को प्राप्त हो रहा है अथवा नहीं।
- ❖ आंगनवाड़ी केन्द्रों पर चलाये जा रहे अन्य कार्यक्रम जैसे टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, प्री-स्कूल कार्यक्रम, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा आदि के सम्बन्ध में अपना महत्वपूर्ण योगदान देना।
- ❖ मातृ समिति की अध्यक्षा की अनुमति से अन्य कोई बिन्दु जो उचित समझा जाय।

बैठक हेतु आंगनवाड़ी कार्यकत्री द्वारा एक रजिस्टर मातृ समिति को उपलब्ध कराया जायेगा। इस रजिस्टर को मातृ समिति अपने अभिरक्षण में रखेंगी। मुख्य सेविका, बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी उक्त दिवस को किसी भी आंगनवाड़ी केन्द्र पर उपस्थित रहेंगे और बैठक में मातृ समिति की अध्यक्षा व अन्य सदस्यों को आंगनवाड़ी केन्द्र द्वारा दी जाने वाली सेवायें व अन्य गतिविधियों के बारे में सलाह देगें जिससे बैठक के दौरान उन बिन्दुओं पर मातृ समिति की अध्यक्षा व सदस्यों के द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्रों पर दी जाने वाली सेवाओं व गतिविधियों का अनुश्रवण कर सकें। निरीक्षण के दौरान केन्द्र पर मुख्य सेविका, बाल विकास परियोजना अधिकारी व जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा मातृ समिति को उपलब्ध कराये गये रजिस्टर पर बैठक का कार्यवृत्त अंकित कराते हुए उसका सत्यापन भी करेंगे।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उपर्युक्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

(अनीता सी0 मेश्राम)
सचिव।

संख्या-3034(1)/60-2-17, तददिनांक:

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
3. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि अपने स्तर से इस सम्बन्ध में समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारियों को एक आदेश जारी कर दें और इस कार्य की नियमित समीक्षा अपनी मासिक बैठकों के दौरान करते रहें।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिवराज कुमार यादव)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।